(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 448/1993 – विरूद्व आदेश दिनांक 30 मार्च 1993 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 299/1988–89 अपील

1– शोभनाथ (मृतक) पुत्र दशरथ कोइर
स्व. पुत्र के पुत्र वारिस
अ– हीरामन कुशवाह ब– जगदीश कुशवाह
स– राजकुमार कुशवाह पुत्र स्व. रामकेश
2– रामविचार पुत्र दशरथ कोइर
ग्राम खड़िया तहसील दुधी जिला सोनभद्र उ.प्र.
3– बसन्ती पुत्री बनवारी ग्राम ककनेशा तहसील
रामानुजगंज जिला सरगुजा ——आवेदकगण

विरूद्व

सुलोचना पुत्री बैजनाथ पत्नि कुजराम कोइर
ग्राम ककनेशा तहसील रामानुजगंज जिला सरगंजा ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 4–10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा मध्य प्रदेश के प्रकरण कमांक 299/88–89 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–1993 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि भूमिस्वामी बनवारी के नाम खसरा कमांक 67 रकबा 0.785 हैक्टर भूमि थी । हलका पटवारी ने नामान्तरण पॅजी

क्रमांक 14 पर दिनांक 13—12—81 से इस खातेदार को बेऔलाद मृतक होना बताकर पँजी में प्रविष्टि की, जिस पर मृतक के भतीजे शोमनाथ का राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 8—1—82 से नामान्तरण कर दिया। इसी भूमि में से रकबा 0.041 आरे पर विक्रय पत्र के आधार पर रामेश्वर सिंह के हित में नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 30 पर आदेश दिनांक 20—3—82 से नामान्तरण किया गया। इसी भूमि के कुछ भाग पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 23—4—82 से रामेश्वर सिंह का नाम दर्ज कर दिया, इन आदेशों के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील क्रमांक 26/84—85 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने आदेश दिनांक 5—5—87 से राजस्व निरीक्षक के उक्तादेश निरस्त करके तहसीलदार की ओर सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार सिंगरोली ने प्र0क्र0 902 अ—6/1986—87 पँजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 19—9—88 पारित किया एंव अनावेदक को मृतक खातेदार की पुत्री होना नहीं माना तथा मृतक खातेदार की भूमि पर शोमनाथ बगैरह का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 16/88—89 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—3—89 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 299/88—89 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—3—1993 से अपील स्वीकार की एंव अनावेदक को मृतक खातेदार की पुत्री होना पाकर नामान्तरण के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/　　निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/　　उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा

ने प्रकरण कमांक 299/88—89 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—3—1993 के पद 3 में मृतक बनवारी के उत्तराधिकारियों की विवेचना की है जिसमें मृतक बनवारी के एक पुत्र बैजनाथ (फोत) था जिसका एक पुत्र शॅकर भी बेओलाद मर चुका है दूसरी पुत्री सुलोचना अर्थात अनावेदक है। मृतक बनवारी दो भाई थे , बनवारी एंव दशरथ । दशरथ के पुत्र शोभनाथ एंव रामविचार है। विचार योग्य है कि मृतक बनवारी के नाम की कृषि भूमि उसके भाई के पुत्रों को विरासत में प्राप्त होगी अथवा मृतक बनवारी के पुत्र की पुत्री प्राप्त करेगी। अनावेदक महिला सुलोचना मृतक खातेदार बैजनाथ की पुत्री होने से अनुसूची एक की वारिस में है जिसके कारण मृतक बनवारी व्दारा धारित भूमि विरासत में उसके पुत्र की पुत्री महिला सुलोचना प्राप्त करेगी, मृतक बनवारी के भाई दशरथ के पुत्र प्राप्त नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 299/88—89 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—3—1993 में सही विवेचना कर निष्कर्ष निकालते हुये तहसीलदार सिंगरोली के आदेश दिनांक 19—9—88 को एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के आदेश दिनांक 15—3—89 को त्रृटिपूर्ण निष्कर्षो पर आधारित होने से निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 299/88—89 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—3—1993 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर